

1154/21/जिला भिण्ड

18-3-16

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी जिला भिण्ड

३६६

क्रमांक क्रू/3/एस.डब्ल्यू/2016/
प्रति,

२९९८

भिण्ड, दिनांक 11.3.16

प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
विधि और विधायी कार्य विभाग,
भोपाल।

बिषय:- माननीय श्री महेन्द्र सिंह तोमर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायालय पोक्सो एकट जिला भिण्ड म0प्र0 के प्र0क्र0 82/2015 सत्रवाद म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र देहात जिला भिण्ड विरुद्ध दिलीप जाटव में पारित दोषमुक्ति निर्णय दिनांक 05.02.16 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने विषयक।

~~314
12-2-16~~

संदर्भ:- कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला भिण्ड के पत्र क्र0/ डी0पी0ओ0/ भिण्ड/ 153/ 2016 दिनांक 23.02.16

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला भिण्ड के पत्र क्र0/ डी0पी0ओ0/ भिण्ड/ 153/ 2016 दिनांक 23.02.16 के द्वारा माननीय श्री महेन्द्र सिंह तोमर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायालय पोक्सो एकट जिला भिण्ड म0प्र0 के प्र0क्र0 82/2015 सत्रवाद म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र देहात जिला भिण्ड विरुद्ध दिलीप जाटव में पारित दोषमुक्ति निर्णय दिनांक 05.02.16 के विरुद्ध अपील प्रस्ताव तैयार किया जाकर इस कार्यालय को भेजा गया है।

उक्त प्रकरण निरसन हेतु आपकी ओर से अपील का प्रस्ताव तैयार कर संदर्भित पत्र के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है जो आपकी ओर भेजा जा रहा है। जिसमें अपील हेतु कानूनी आधारों का विस्तृत उल्लेख किया गया है।

अतएव न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अपील प्रस्ताव मान० उच्च न्यायालय ग्वालियर में संस्थित कराने हेतु एवं संबंधित शासकीय अधिवक्ता को प्रतिरक्षण करने हेतु निर्देशित कर स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार दो प्रति में।

~~कार्यालय जिला भिण्ड~~

~~पुष्टा क्रमांक क्रू/3/एस.डब्ल्यू/2016/
18-3-2016~~

- प्रतिलिपि
- प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन गृह विभाग भोपाल।
 - पुलिस अधीक्षक, भिण्ड जिला भिण्ड।
 - उपसंचालक अभियोजन/लोक अभि०/अतिं०लोक अभि० की ओर सूचनार्थ।

२९२६

जिला मजिस्ट्रेट

जिला भिण्ड(म.प्र.)

जिला भिण्ड, दिनांक

जिला भिण्ड(म.प्र.)

कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

क्रमांक / डी०पी०ओ० / भिण्ड / १८३ / २०१६
प्रति,

दिनांक २३ / २ / 2016

श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय
विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल म०प्र०

द्वारा:- श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय भिण्ड

विषय :- विशेष न्यायालय पोकसो एकट भिण्ड श्री महेन्द्र सिंह तोमर के आपराधिक प्रकरण क्रमांक 82/2015 सत्रवाद म०प्र० राज्य द्वारा थाना देहात जिला भिण्ड विरुद्ध दिलीप जाटव में पारित दोषमुक्ति निर्णय दिनांक 05.02.16 के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के अधीन अपील प्रस्ताव।

महोदय,

घटना का संक्षिप्त विवरण :-

अभियोगी राजकिशोर के द्वारा दिनांक 26.11.14 को थाना देहात जिला भिण्ड में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि उसकी पुत्री/पीड़िता जो अपने भाई गजेन्द्र के साथ ग्राम खरिका से अपनी बुआ भूरीबाई के घर अम्बेडकर नगर भिण्ड आने के लिये बस से गई थी। लहार चुंगी पर बस से उतरने पर अभियुक्त दिलीप जाटव जो गणेशजी भट्टा पर काम करता था मिला और उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया। अभियोगी की रिपोर्ट पर से थाना देहात में अपराध क्रमांक 465/14 धारा 363, 366 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

उक्त अपराध को अनुसंधान में लिया गया। अनुसंधान के दौरान पीड़िता को दस्तयाब किया गया उसके एवं साक्षीगण के कथन अंकित किये, अपराध की विषय वस्तु को विधिवत जप्त किया गया। जप्त वस्तुओं को जाँच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया। रासायनिक परीक्षण उपरांत एफएसएल द्वारा प्रदत्त सकारात्मक परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जो मूल प्रकरण में संलग्न है। अनुसंधान में सम्मिलित साक्ष्य के आधार पर आरोपी दिलीप के विरुद्ध भादवि की धारा 363, 366क, 376, एवं 5/6 पोकसो एकट के अधीन अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त पर धारा 363, 366क, 366, 376(2)(आई) 376(2)(एन) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(एल)/6 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप अधिरोपित किये गये। अभियोजन की ओर से ००सा०-१ राजकिशोर, ००सा०-२ भानुमती, ००सा०-३ एस०के० गौतम, ००सा०-४ प्रदीप त्यागी, ००सा०-५ सउनि दर्शन सिंह यादव, ००सा०-६ डॉ० राधा अग्रवाल, ००सा०-७ गजेन्द्र, के कथन कराये गये। अभियोजन ने अपना प्रकरण प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर संदेह से परे प्रमाणित किया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अखण्डत साक्ष्य को संदेहास्पद मानकर अभियुक्त को निराधार रूप से पीड़िता के कथनों में आये सामान्य विरोधाभाष को महत्व देते हुए, पीड़िता को बालक की परिधि में न मानने से निर्णय दिनांक 05.02.16 से दोषमुक्ति किया है उक्त दोषमुक्ति निर्णय से व्यक्ति होकर अभियोजन की ओर से निम्न आधारों पर अपील प्रस्तावित की जा रही है :-



अपील के आधार

(1) यहकि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की विधि पूर्वक समीक्षा न कर अभियोजन साक्षीगण की अकाट्य साक्ष्य पर संदेह करते हुए आरोपी के विरुद्ध यह दोशमुक्ति निर्णय जिसे आगे आलोच्य निर्णय लिखा जायेगा पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

(2) विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधि के बंधनात्मक प्रावधानों के विपरीत पीड़िता के कथनों की मीमांशा न करते हुए निर्णय पारित किया है वह विधिसंगत नहीं है। अभियोजन की ओर से बलात्संग के अपराध की पीड़िता के कथन के संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समझान में अन्तिम तर्क के प्रक्रम पर भा०द०सं० एवं साक्ष्य अधिनियम के नवीनतम संशोधनों को लाया गया था जिसके अनुसार :—

“भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 में दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 के द्वारा धारा 375 में संशोधन समावेश किये गये हैं उस संशोधन का स्पष्टीकरण 2 का परन्तुक में यह स्पष्ट प्राविधित किया गया है कि —

“परन्तु ऐसी स्त्री के बारे में, जो प्रवेशन के कृत्य का भौतिक रूप से विरोध नहीं करती, मात्र इस तथ्य के कारण यह नहीं समझा जावेगा कि उसने विनिर्दिष्ट लैंगिक किया कलाप के प्रति सहमति प्रदान की है”

इसके अतिरिक्त साक्ष्य अधिनियम की धारा 114क बलात्संग के मामलों में सम्मति न होने के बारे में उपधारणा करती है। उक्त धारा के अनुसार —

“भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 की उपधारा (2)के खण्ड(क), खण्ड(ख), खण्ड(ग), खण्ड(घ), खण्ड(ङ), खण्ड(च), खण्ड(छ), खण्ड(ज्ञ), खण्ड(ज), खण्ड(ट), खण्ड(ठ), खण्ड(ड), खण्ड(ढ) के अधीन बलात्संग के किसी अभियोजन में, जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन किया जाना साबित हो जाता है और प्रश्न यह है कि क्या वह उस स्त्री की, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उससे बलात्संग किया गया है, सम्मति के बिना किया गया ओर ऐसी स्त्री अपने साक्ष्य में न्यायालय के समक्ष यह कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, वहां न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी”।

इस प्रकरण में पीड़िता ने आरोपी के द्वारा जबरदस्ती बलात्कार करना अपने कथनों में बताया है जिससे आरोपी के द्वारा पीड़िता की इच्छा व सम्मति के बिना प्रवेशन का कृत्य करना परिलक्षित होता है। प्रक्रिया विधि एवं साक्ष्य विधि के बंधनात्मक प्रावधानों के प्रकाश में अभियोजन भलीभांति उक्त आरोप प्रमाणित करने में सफल रहा है ऐसी स्थिति में न्यायालय यह उपधारणा करने हेतु विधि अनुसार वाध्य था कि आरोपी के द्वारा पीड़िता के साथ आरोपित अपराध (बलात्कार) किया है।

(3) विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पीड़िता के कथनों की त्रुटिपूर्ण मीमांशा की है। प्रकरण में अभियोत्री ने अपने कथनों में अपने साथ हुई घटना का स्पष्ट वृत्तान्त करते हुए शपथ पर साक्ष्य दी है उसकी साक्ष्य की पुष्टि शेष अभियोजन साक्षीगण के कथनों से एवं विशेषज्ञ साक्षी के प्रतिवेदनों से भलीभांति होती है।

पीड़िता (अ०सा०-2) भानुमती ने अपने न्यायालयीन कथनों में बताया है कि उसकी आयु 16 वर्ष है वह आरोपी दिलीप जाटव को जानती है घटना आज से दो तीन माह पूर्व की है भिण्ड आ रही थी जैसे ही लहार चुंगी पर उतरी तो वहाँ मुझे आरोपी संतोशी उर्फ कल्लू तथा दिलीप मिले मुझे संतोशी ने कुछ खिला दिया उसके बाद आरोपीगण मोटर से ग्वालियर तथा ग्वालियर से ट्रेन में सूरत ले गये भाई गजेन्द्र लहार चुंगी पर रह गया सूरत में दिलीप ने मुझे चार पॉच दिन साथ रखा तथा पॉच दिन लगतार बलात्कार किया।

गजेन्द्र (अ०सा०-7) ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि आठ दस माह से अधिक समय पूर्व वह अपनी बहन भानुमती के साथ जा रहा था लहार चुंगी पर उतरे वहाँ दिलीप मिला और उसने चाय पिलाई और वह मेरी बहन भानुमती को ले गया तथा उक्त साक्षी के कथन की पुष्टि अभियोक्त्री अ०सा० 2 ने अपने कथनों में की है कि दिलीप कल्लू संतोशी मुझे मोटर साइकिल से ग्वालियर ले गये उक्त तथ्य प्रतिपरीक्षण में अखण्डित रहे हैं फिर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त



अखण्डित तथ्य को बिना किसी आधार के अविश्वसनीय मानकर त्रुटि की है। अतएव दोशमुक्ति निर्णय अपास्त योग्य है।

अभियोक्त्री अ०सा० 2 ने अपने न्यायालयीन कथनों में यह कथित किया है कि आरोपी दिलीप ने सूरत में मुझे 4-5 दिन अपने साथ रखा और पॉच दिन दिलीप ने बलात्कार किया। उक्त साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114क के अधीन उपधारणा लिये जाने योग्य साक्ष्य है। इसके अतिरिक्त आरोपी की ओर से ऐसी कोई खण्डनीय साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की है ऐसी स्थिति में पीड़िता की अखण्डित एवं विधि अनुसार उपधारणा लिये जाने योग्य साक्ष्य पर अविश्वास कर जो निर्णय पारित किया गया है वह स्थिर रहने योग्य नहीं है।

(4) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्याय सिद्धान्त

(1996) 2 एस०सी०सी० 384

पंजाब राज्य वित्त गुरमीत सिंह एवं अन्य में बलात्कार के अपराध की पीड़िता के कथनों की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए उसके कथनों की मीमांशा करते समय न्यायालय द्वारा पालन किये जाने वाले सिद्धान्तों का प्रतिपादित किया है :-

“न्यायालयों को साक्ष्य का अधिमूल्यन करते समय इस तथ्य के प्रति सजग रहना चाहिए कि बलात्संग के मामले में कोई भी आत्मसम्मानी स्त्री स्वयं अपने सम्मान के ही वित्त केवल अपमान जनक कथन करने के लिये न्यायालय में सम्मुख नहीं आयेगी, जैसे □ कइस प्रकार वही सम्मान उस पर बलात्संग करित करने में यहाँ अन्तरग्रस्त है। बलात्संग अन्तरग्रस्त करने वाले मामलों में परिकल्पित विचारण जिनका अभियोजन मामले की प्रामाणिकता पर कोई तात्त्विक प्रभाव नहीं होता या अभियोक्त्री के कथन में आये उस फर्क को जब तक फर्क ऐसा नहीं है जो कि घातक प्रकृति का हो, अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को अमान्य करने हेतु अनुज्ञात नहीं किये जाने चाहिए”।


इस प्रकरण की पीड़िता अवयस्क है आरोपी का यह कृत्य पीड़िता की उम्र उसके प्रति कारित कृत्य और उसके परिणाम को दृष्टिगत रखते हुए जघन्य अमानवीय कार्य है। इस विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय सिद्धान्त

एआईआर 2004 सुप्रीम कोर्ट 1290

पंजाब राज्य वित्त रामदेव सिंह में इस संबंध में विचार करते हुए यह अभिधारित किया है कि

“बलात्संग संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन पीड़िता के मूल अधिकार का उल्लंघन है। इसलिये न्यायालयों को ऐसे मामलों पर गम्भीरतापूर्वक और कठोरता से विचार करन चाहिए। यौन हिंसा अमानवीय कार्य होने के अतिरिक्त किसी महिला की गोपनीयता और पवित्रता के अधिकार का विधि वित्त उल्लंघन है। यह उसके उच्चतम सम्मान पर गम्भीर प्रहार है और उसके आत्मसम्मान तथा गरिमा का उल्लंघन करता है। यह पीड़िता की प्रतिष्ठा कम करता है तथा अपमानित करता है और जहाँ पीड़िता असहाय निर्दोष शिशु या अवयस्क है, वहाँ यह पीछे एक आधातज अनुभव छोड़ता है। बलात्कारी ने केवल शारीरिक अपहानि कारित करता है, बल्कि महिला की सबसे अधिक परिकल्पित स्थिति, अर्थात् उसकी गरिमा, सम्मान, ख्याति एवं पवित्रता को भी दागदार बनाता है। बलात्संग न केवल महिला के शरीर के वित्त अपराध है बल्कि यह सम्पूर्ण समाज के वित्त भी एक अपराध है। यह भूल मानव अधिकार के वित्त अपराध है और संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्रत्याभूत सबसे अधिक परिकल्पित मूल अधिकार का भी उल्लंघन करता है।”।

उक्त न्याय सिद्धान्त इस प्रकरण में भी पूर्णतः सुसंगत होकर अनुकरणीय है जिनका अनुशारण अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय पारित करते समय लिया जाना आवश्यक था किन्तु न्यायालय



के द्वारा विधि के प्रावधान, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा पारित सिद्धान्तों का अनुपालन न करते हुए निर्णय पारित किया है जो अपास्त योग्य है।

पीड़िता की उम्र

(5) विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आलोच्य निर्णय के पैरा क्रमांक 9 में “अभियोजन की ओर से अभियोक्त्री के मैट्रिक्यूलेशन से संबंधित शैक्षणिक दस्तावेज अथवा जन्म प्रमाण पत्र, प्रथम प्रवेश के समय विद्यालय में किये गये प्रवेश व जन्म दिनांक से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं तथा अभियोक्त्री के आयुके संबंध में परीक्षण करने वाले चिकित्सक के कथन भी नहीं कराये गये हैं ऐसी स्थिति में मौखिक कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि घटना के समय अभियोक्त्री आयु 18 वर्ष से न्यून रही है” लेख करते हुए अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य एवं दस्तावेजों की त्रुटिपूर्ण मीमांशा कर निष्कर्ष घारित किया है। जबकि अभियोजन की ओर से पीड़िता की आयु प्रमाणित करने के संबंध में ००सा०-३ एस०के० गौतम प्राचार्य शासकीय हाईस्कूल खरिका पुरा जिला भिण्ड जिसमें पीड़िता अध्यनरत थी को साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया है और उनके द्वारा अपने पदीय अनुक्रम में संरक्षित शासकीय दस्तावेज को प्रस्तुत करते हुए पीड़िता की कक्षा-८ की अंकसूची, कक्षा-८ उत्तीर्ण करने के पश्चात विद्यालय के द्वारा जारी शाला त्याग प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-७, कक्षा ९ में प्रवेश लेने के समय प्रस्तुत किया गया प्रवेश फॉर्म प्रदर्श पी-६ एवं विद्यालय प्रवेश पंजी प्रदर्श पी-५ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये हैं। उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी शासकीय सेवक होकर निष्क्रिय साक्षी है जिसके द्वारा घटना के पूर्व संघारित शासकीय अभिलेखों के आधार पर पीड़िता का जन्म दिनांक ०२.०२.१९९९ होना स्पष्टतः बताया है जिस पर निराधार रूप से अविश्वास नहीं किया जा सकता।

उल्लेखनीय यह भी है कि जैसाकि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा क्रमांक 10 में लेख किया है कि बालक की उम्र निर्धारण हेतु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2003 के नियम 12(3) प्रयोज्य होते हैं, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त नियम का उचित रीति से अनुपालन नहीं किया गया है। क्योंकि जैसाकि नियम 12(3)(क)(।) में प्रतिपादित है—

“मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र”

इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से पीड़िता की कक्षा ८ की अंकसूची, शाला त्याग प्रमाण पत्र, विद्यालय प्रवेश पंजी, प्रवेश फॉर्म आदि दस्तावेज लोक सेवक के द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं ऐसे प्रामाणिक दस्तावेजों पर अविश्वास करते हुए मात्र मैट्रिक की अंकसूची प्रस्तुत न किये जाने को आधार बनाते हुए पीड़िता की उम्र त्रुटिपूर्ण रीति से १८ वर्ष कम न मानना न्यायोचित नहीं है।

अ०सा०-२ पीड़िता के द्वारा न्यायालय के समक्ष यह स्पष्टतः कथनों में बताया है कि उसने कक्षा ९ की परीक्षा दी थी जिसमें वह फेल हो गई थी ऐसी स्थिति में जब पीड़िता कक्षा-१० में अध्ययनरत ही न रही तो उसकी अंकसूची उपलब्ध होना संभव नहीं है, इस तथ्य को संज्ञान में लिये बिना मैट्रिक की अंकसूची प्रस्तुत किये जाने की प्रत्याशा की है जो उचित नहीं है।

(6) अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय के पद क्रमांक 9 में पीड़िता की आयु के संबंध में परीक्षण करने वाले चिकित्सक के कथन न कराये जाने को भी आधार बनाया गया है जो विधि के विपरीत है क्योंकि बालक की आयु के निर्धारण के संबंध में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2003 के नियम 12(3) के अनुसार सम्यक रूप से गठित मेडीकल बोर्ड के द्वारा प्रदत्त प्रतिवेदन ही आयु निर्धारण के संबंध में मान्य होगा। इस प्रकरण में पीड़िता की शैक्षणिक अभिलेख उपलब्ध होने के कारण अनुसंधान में उपरोक्तानुसार मेडीकल बोर्ड से आयु परीक्षण जॉच नहीं करायी गई थी ऐसी स्थिति में निराधार रूप से उपलब्ध साक्ष्य को अनदेखा करते हुए चिकित्सक कथन न कराने के आधार पर आयु निर्धारण के संबंध में त्रुटिपूर्ण मीमांशा कर निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है।

माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा ३४(२)के अनुसार “कार्यवाही को इस संबंध में कोई प्रश्न आता है कि वह व्यक्ति बालक है या नहीं तब ऐसे



प्रश्न का अवधारण ऐसे व्यक्ति की आयु के बारे में स्वयं का समाधान करने के पश्चात किया जायेगा” माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रकरण में स्वयं कथन के समय बालक की आयु 16 वर्ष होना कथन में लेख की जिसे बचाव पक्ष ने खण्डित नहीं किया है। किन्तु फिर भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आयु के अवधारणा के प्रश्न को अखण्डनीय होते हुए भी बिना किसी आधार के अविश्वसनीय मानकर आयु निर्धारण के संबंध के नियमों की त्रुटिपूर्ण मीमांशा की है जो निरस्त योग्य है।

डॉ० राधा अग्रवाल (अ०सा०-६) ने अपने न्यायालयीन कथन में अभियोगी के संबंध में बताया है कि दिनांक 9.12.14 को कुँ० भानुमती पुत्री राजकिशोर दोहरे आयु 15 वर्ष निवासी खरिका पुरा को मेडीकल परीक्षण लाया गया था। राजकिशोर (अ०सा०-१) ने अपने मुख्य परीक्षण के पैरा 5 में अपनी पुत्री अभियोगी की आयु 15 वर्ष होना बताई है विचारण न्यायालय ने भी पीड़िता की आयु कथन के समय करीब 16 वर्ष की होना पाया है।

इस प्रकार एस०के० गौतम (अ०सा०-३) प्राचार्य जोकि लोक सेवक है ने अपने न्यायालयीन कथन में मुख्य परीक्षण की 8वीं पंक्ति में अभियोगी की आयु 2 फरवरी 1999 होना बतायी है। आयु के संबंध में अभियोजन साक्षी क्रमांक 1, 2, 6, 7 के कथन को बचाव पक्ष की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई है इस कारण उक्त तथ्य आयु के संबंध में अखण्डित रहे हैं और अभियोजन उपरोक्तानुसार पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम होना प्रमाणित करने में सफल रहा है। किन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अखण्डित तथ्य को बिना किसी समुचित आधार के अविश्वसनीय मानकर अभियोगी की आयु 18 वर्ष से कम न मानकर गंभीर न्यायिक त्रुटि की है।

(7) वैकल्पिक रूप से अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत कथित जन्म दिनांक के संबंध में भिन्नता होने पर भी वह साक्ष्य जो अवयस्क के पक्ष में हो वह साक्ष्य में ग्राह्य व सुसंगत है। इस संबंध में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2007 का नियम 12(3)(ख) में प्रतिपादित है कि न्यायालय अथवा बोर्ड यथारित कारणों का अभिलेख करते हुए यदि आवश्यक समझे तो बच्चे अथवा किशोर को एक वर्ष कम की आयु का लाभ दे सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्याय सिद्धान्त :-

2014(4) सीसीएससी 1976 सु०को०

कुलई इब्राहीम उर्फ इब्राहीम विरुद्ध राज्य पुलिस निरीक्षक के द्वारा

में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि किशोरावस्था का दावा यदि दो मत संभव है तो मानक उसी मत के पक्ष में झुकना चाहिए जो किशोरावस्था के दावे का समर्थन करता हो।

किशोर न्याय अधिनियम के नियम के विधिक प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित उक्त न्याय दृष्टांत के प्रकाश में पीड़िता मृतिका की उम्र 18 वर्ष से कम होना प्रमाणित करने में अभियोजन सफल रहा है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, न्याय सिद्धान्त एवं विधि के विपरीत पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम होना न मानते हुए विधिक भूल की है।

(8) अभियोजन साक्षीगण के कथनों में प्रथमतः तात्त्विक विन्दुओं पर कोई विरोधाभाष उत्पन्न नहीं हुआ है और जो आंशिक अल्पविरोधाभाष यदि पाया जाता है तो वह महत्वहीन होकर मानव स्वभाव के अनुरूप है क्योंकि मानव स्मृति शब्दशः किसी घटनाक्रम को दोहरा नहीं सकती।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आलोच्य निर्णय के पद क्रमांक 23 में अ०सा० 1 व 2 के कथन अन्तर्विरोधी होकर परस्पर विरोधाभाषी होना लेख किया है, किन्तु न्यायालय के द्वारा किस तात्त्विक बिन्दु पर किन साक्षियों के द्वारा अन्तर्विरोधी कथन दिये और कौनसे विरोधाभाषी तथ्यों के आधार पर निर्णय पारित किया गया यह स्पष्टतः लेख नहीं किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा साक्ष्य विधि के सिद्धान्तों के प्रति समग्र दृष्टिकोण रखते हुए साक्ष्य की मीमांशा नहीं की गई है और इस विधि को ध्यान में नहीं रखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति एक ही तथ्य को अपनी-अपनी भाँति प्रस्तुत करता है और उसका घटनाक्रम प्रस्तुति का तरीका पृथक-पृथक होता है। इस दृष्टि से न्यायालय को साक्ष्य की मीमांशा करते



वह निश्चित करना होता है कि साक्ष्य का कौनसा भाग सत्य और सही है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित निम्न न्याय सिद्धान्त सादर अनुकरणीय है :-

1999 सीआरआई 501

गणेश केंगुलबे व अन्य विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अल्प विरोधाभाष को अवांछित महत्व देतु हुए साक्षीगण की तात्त्विक साक्ष्य को अविश्वसनीय माना है जो विधि सिद्धान्तों के अनुसार उचित नहीं है। अवलोकनीय है -

ए0आई0आर0 1988 सु0को0 694

अप्पा भाई विरुद्ध गुजरात राज्य

ए0आई0आर0 1994 सु0को0 2507

अर्जुन व अन्य विरुद्ध राजस्थान राज्य

(9) आलोच्य निर्णय विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 05.02.2016 को पारित किया गया। साक्षीगण के कथनों की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन दिनांक 12.02.2016 को प्रस्तुत किया गया, प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 20.02.2016 को प्राप्त हुई अतः अपील प्रस्ताव भलीभांति विहित परिसीमा काल में है।

अतः उपरोक्त आधारों पर आलोच्य निर्णय दिनांकित 05.02.16 अपास्त कर आरोपी को समुचित दण्ड से दण्डित करने एवं पीड़िता को विधि एवं न्यायदृष्टांतों के परिपालन में समुचित प्रतिकर प्रदाय करने हेतु यह अपील प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु माननीय विधि विधायी कार्य विभाग म0प्र0 शासन भोपाल की ओर प्रेषित करने हेतु निर्णय एवं साक्षीगण के न्यायलयीन कथनों की प्रमाणित प्रतिलिपि दो प्रतियों में संलग्न कर सादर प्रस्तुत है।

संलग्न :- निर्णय एवं साक्षीगण के कथनों की प्रमाणित प्रतिलिपि ।

जिला अभियोजन अधिकारी/
विशेष लोक अभियोजक
जिला भिण्ड (म0प्र0)



(५०)

~~न्यायालयः— चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड (मोप्र०)~~
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय

(समक्षः—श्री एमोएसो तोमर)

सीआईएस नं०—२३०३०१००४८८२०१५

प्रकरण क्र०—८२/१५ सत्रवाद

संस्थापन दिनांक २५-०२-१५



मोप्र० शासन द्वारा—

थाना देहात जिला भिण्ड (मोप्र०)

-----अभियोजन

विरुद्ध

दिलीप पुत्र बहादुरसिंह जाटव,
उम्र—२५ साल निवासी दलालन
मोहल्ला जालौन (उमोप्र०)

-----अभियुक्त



न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड (श्री सिद्धार्थ तिवारी)
के प्र०क०-७९/१५ ई०फ०० में पारित उपार्पित आदेश दिनांक
13-02-15 से उत्पन्न ।

राज्य द्वारा श्री प्रवीण दीक्षित विशेष लोक अभियोजक ।
अभियुक्त द्वारा श्री प्रदीप शर्मा अधिवक्ता ।

निर्णय :-

(आज दिनांक ०५-०२-२०१५ को घोषित)

1— अभियुक्त दिलीप पर भा०दं०सं० की धारा—३६३,३६६—क
३६६, ३७६(२)(आई), ३७६(२)(एन) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का
संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा ५(L)/६ के अंतर्गत दण्डनीय
अपराध का आरोप है कि, अभियुक्त ने दिनांक २४-११-१४ को लहार
चुंगी के पास भिण्ड से अवयस्क अभियोक्त्री को उसकी विधिपूर्ण
संरक्षकता में से बहकाकर ले जाकर उसका व्यपहरण किया, अवयस्क
बालिका जिसकी अवस्था १८ वर्ष से कम थी को इस आशय से अथवा
यह जानते हुये कि, वह अयुक्त संभोग करने के लिये विवश या
विलुब्ध की जावेगी, ले जाकर उसका उपापन किया, बालिका का इस

(एम० एस० तोमर)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश
भिण्ड (म.प्र.)

आशय से व्यपहरण किया कि, वह उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने या अयुक्त संभोग के लिये विवश या विलुप्त की जावेगी, अभियोक्त्री जिसकी अवस्था 16 वर्ष से कम थी को अपने साथ ले जाकर दिनांक 24-11-14 के पश्चात् विभिन्न स्थानों पर उसके साथ बलात्संग किया, अभियोक्त्री को अपने साथ ले जाकर दिनांक 24-11-14 के पश्चात् विभिन्न स्थानों पर उसके साथ एक से अधिक बार बलात्संग किया तथा अभियोक्त्री को अपने साथ ले जाकर दिनांक 24-11-14 के पश्चात् विभिन्न स्थानों पर एक से अधिक बार गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला किया ।

2- अभियोजन घटना का सार इस प्रकार है कि, फरियादी राजकिशोर के द्वारा दिनांक 26-11-14 को 10:20 बजे थाना देहात में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि, दिनांक 24-11-14 को शाम करीब 5 बजे उसकी 15 वर्षीय पुत्री/अभियोक्त्री उसके 13 वर्षीय लड़के गजेन्द्र के साथ ग्राम खरिका से फरियादी की बहन भूरीबाई के घर अम्बेडकर नगर भिण्ड आ रहे थे तथा बस से लहार चुंगी पर उतरे जहाँ अभियुक्त दिलीप जाटव जो गणेश ईट भट्टा पर काम करता था, मिला जो फरियादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया । फरियादी ने अपनी पुत्री की तलाश बहन भूरी व अन्य रिश्तेदारी में की लेकिन वह नहीं मिली । उक्त रिपोर्ट पर से थाना देहात पर अप0कं-465/14 अन्तर्गत धारा 363, 366 भा0दं0सं0 (प्र0पी0-1) पंजीबद्ध किया गया ।

3- अनुसंधान के दौरान दिनांक 09-12-14 को 09:15 बजे बस स्टैण्ड भिण्ड से अभियोक्त्री को दस्तयाब कर पंचनामा प्र0पी0-4 बनाया गया तथा अभियोक्त्री का न्यायालय में कथन प्र0डी0-1 अन्तर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 कराया गया व उसके पिता राजकिशोर को सुपुर्दगी में देकर पंचनामा प्र0पी0-2 बनाया गया एवं उसका चिकित्सा परीक्षण प्र0पी0-3 कराया गया । अभियोक्त्री ने अपने कथनों में बताया कि, दिनांक 24-11-14 को वह अपने भाई के साथ अपनी बुआ के बच्चे के जन्म दिन पर भिण्ड आई थी बस के लहार चुंगी पर रुकने पर वह अपने भाई के साथ नीचे उतरी जहाँ दिलीप जाटव मिला जो उसे बहला-फुसलाकर ॲटो में बिठाकर बस स्टैण्ड भिण्ड ले गया जहाँ से ग्वालियर व ग्वालियर से रेल में बिठाकर सूरत अपने जीजा के यहाँ ले गया । फिर दिलीप ने अलग कमरा किराये पर लिया था जहाँ वह रुके थे तथा दिलीप ने उसके साथ कई बार बुरा काम किया था ।


 (एम0 हड्ड0 तोमर)
 यतुर्थ अलर सब न्यायाधीश
 भिण्ड (म.प्र.)

(42)

5-

प्र०क०-82 / 15 सत्रवाद

के द्वारा अपने कथनों के दौरान विद्यालय के प्रवेश पंजी रजिस्टर प्र०पी०-५ दिनांक ०१-०७-०८ सं०क०-१ से प्रारम्भ होकर दिनांक ०९-०७-१४ सं०क०-६०६ तक है, की प्रविष्टि कं०-४१२ पर अभियोक्त्री का प्रवेश दिनांक १०-०७-१२ को अपने विद्यालय की कक्षा-९ में होने का अभिकथन किया है जिसके अनुसार अभियोक्त्री की जन्म दिनांक ०२-०२-१९९९ होना बताई गई है। साक्षी का कहना है कि, अभियोक्त्री के कक्षा-९ में प्रवेश के समय प्रवेश फार्म प्र०पी०-६ एवं शाला त्याग प्रमाणपत्र प्र०पी०-७ प्रस्तुत किया गया था। थाना प्रभारी देहात के द्वारा चाहे जाने पर उसने अभियोक्त्री की जन्म दिनांक के संबंध में प्रमाणपत्र प्र०पी०-८ जारी किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कहना है कि, उसने अभियोक्त्री का जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया था तथा पिछले स्कूल से प्राप्त टी०सी० प्र०पी०-७ के अनुसार ही अभियोक्त्री की जन्म दिनांक अभिलिखित की थी। साक्षी प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार करता है कि, उक्त टी०सी०/शाला त्याग प्रमाणपत्र पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। साक्षी इस तथ्य से झंकार करता है कि, यदि अभियोक्त्री के कक्षा-१ में प्रवेश के समय उसकी जन्म दिनांक त्रुटिपूर्ण लिखी गई हो तो वह नहीं बता सकता। उसने अभियोक्त्री के कक्षा-१ के प्रवेश फार्म को नहीं देखा है।

9— अभियोजन की ओर से अभियोक्त्री के मेर्टीकुलेशन से संबंधित शोक्षणिक दस्तावेज अथवा जन्म प्रमाणपत्र, प्रथम प्रवेश के समय विद्यालय में किये गये प्रवेश व जन्म दिनांक से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तथा अभियोक्त्री की आयु के संबंध में परीक्षण करने वाले विकित्सक के कथन भी नहीं कराये गये हैं। ऐसी स्थिति में ३०सा०-१ व २ के इन मौखिक कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि, घटना के समय अभियोक्त्री की आयु १८ वर्ष से न्यून रही है।

10— माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अभियोक्त्री की आयु के संबंध में निर्धारण किये जाने हेतु न्यायिक दृष्टांत बबलू पासी विरुद्ध झारखण्ड राज्य ए०आई०आर० २००९ एस०सी०-३१४ जरनेलसिंह वि० हरियाणा राज्य ए०आई० आर०-२०१३ एस०सी०-३४६७ एवं म०प्र० राज्य वि० अनूपसिंह (२०१५) ७ एस०सी० सी०-७७३ एवं अभियोजन की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत कुलई इब्राहिम उर्फ इब्राहिम विरुद्ध राज्य पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व २०१४(४)सी०सी०एस०


 (एन० एस० लोमर)
 चतुर्थ अध० सप्र न्यायाधीश
 मिष्ठ (म.प्र.)

सी०-१९७६ (एस०सी०) में यह मार्गदर्शन दिया गया है कि, अभियोक्त्री की आयु का निर्धारण किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 7-ए एवं उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अभिनिर्धारित नियम 2007 के नियम 12(3) के अनुसार किया जाना चाहिये। किशोर न्याय एवं बालकों का संरक्षण नियम 2007 के नियम 12(3) के अनुसार सर्वप्रथम मेट्रीकुलेशन अथवा समकक्ष कक्षा की अंकसूची के अनुसार अभियोक्त्री की आयु निर्धारित की जानी चाहिये। उक्त दस्तावेज न होने पर ही अन्य दस्तावेज जन्म प्रमाणपत्र या विद्यालय के प्रथम कक्ष में प्रवेश संबंधी दस्तावेजों पर विचार किया जाना चाहिये। उक्त दस्तावेज न होने पर ही चिकित्सक की राय पर विचार किया जाना चाहिये।

11— **अ०सा०-१** जो कि, अभियोक्त्री का पिता है, ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि, अभियोक्त्री का विवाह हो चुका है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये उपरोक्त मार्गदर्शन के अनुसार अभियोक्त्री की आयु अभियोजन की ओर से न्यायालय में प्रमाणित नहीं कराई गई है। अतः अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि, अभियोक्त्री की आयु घटना के समय 18/16 वर्ष से न्यून रही है। उपरोक्त अनुसार इस विचारणीय बिन्दु का निराकरण किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2-7:-

12— **अ०सा०-१** राजकिशोर का कहना है कि, उसकी पुत्री छोटे पुत्र गजेन्द्र के साथ ग्राम खरिका का पुरा गेहवत् से अपनी बुआ के यहाँ अम्बेडकर नगर भिण्ड आ रही थी। लहार चुंगी पर उत्तरते ही उसे अभियुक्त दिलीप अपनी बहन संतोषी व बहनोई के साथ मिला। दिलीप उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर मोटरसाइकिल पर बिठाकर बस स्टैप्ड ले गया जहाँ से दिलीप व संतोषी उसकी पुत्री को ट्रेन में बिठाकर सूरत ले गये। उसका पुत्र गजेन्द्र अपनी बुआ के घर पहुँचा तथा अभियोक्त्री के संबंध में उसे बताया। उसकी बहन ने फोन के द्वारा उसे अभियोक्त्री के संबंध में जानकारी दी तब वह भिण्ड आया तथा तलाश की किंतु अभियोक्त्री नहीं मिली। अभियुक्त जो कि, उसके घर के सामने स्थित ईट भट्टे पर विगत 3-4 वर्ष से काम करता था, के संबंध में उसने ईट-भट्टे पर जाकर दिलीप के भाई, माँ एवं बहन से पूछताछ की तो उन्होंने दिलीप के द्वारा उसकी पुत्री को न ले जाना बताया किंतु यह बताया कि, वह आज ही सूरत गया है।

(एम० एस० तोमर)
अमृत अखण्ड सभा न्यायालय
भिण्ड (म.प्र.)

प्र०क०:८२/१५ सत्रवाद

13—

अ०सा०-१ का यह भी कहना है कि, वह दिलीप का पता ज्ञात कर सूरत गया जहाँ उसे दिलीप, उसकी पुत्री/अभियोक्त्री, दिलीप की बहन व बहनोई मिले थे तथा उसने पुलिस में रिपोर्ट की थी तत्पश्चात् थाना देहात की पुलिस गई थी व दिलीप को पकड़कर लाई थी। साक्षी का कहना है कि, अभियोक्त्री के गुम हो जाने के संबंध में उसने पुलिस थाना देहात में गुमशुदगी की रिपोर्ट प्र०पी०-१ लेखबद्ध कराई थी जिस पर साक्षी अपने हस्ताक्षर होने का अभिकथन करता है। साक्षी का कहना है कि, लगभग ८ दिवस उपरांत उसकी पुत्री मिली थी तब पुलिस ने उसे सुपुर्दगी में देकर पंचनामा प्र०पी०-२ बनाया था जिसका चिकित्सा परीक्षण कराये जाने हेतु सहमति प्र०पी०-३ उसने दी थी।

14—

अ०सा०-१ का प्रतिपरीक्षण कण्डिका-६ में कहना है कि, उसके पुत्र गजेन्द्र ने बताया था कि, अभियुक्त दिलीप उसकी बहन संतोषी एवं बहनोई कल्लू भी उसी बस से जिससे उसकी पुत्री एवं गजेन्द्र आये थे, भिण्ड आये थे तथा उसे गजेन्द्र ने यह भी बताया था कि, उसकी पुत्री दिलीप व उसके बहन-बहनोई के साथ गई तथा बस के पीछे दिलीप का छोट भाई अर्जुन मोटरसाइकिल लेकर आया था व लहार चुंगी पर उतरकर वह अभियोक्त्री एवं दिलीप के बहन-बहनोई को मोटरसाइकिल से बस स्टैण्ड पर छोड़ने गया था तथा दिलीप बाद में गया था जब कि, अ०सा०-७ गजेन्द्र का कहना है कि, जब वह अपनी बहन/अभियोक्त्री के साथ बस से आया व लहार चुंगी पर उतरा तभी दिलीप ने उसे चाय पिलाई जिससे वह बेहोश हो गया था तथा दिलीप उसकी बहन को ले गया था जब उसे होश आया तब वह अपनी बुआ भूरीबाई के घर गया जहाँ उसने घटना के संबंध में बताया। इस प्रकार अ०सा०-७ के द्वारा अ०सा०-१ के इन अभिकथनों का अनु-समर्थन नहीं किया गया है कि, अभियुक्त दिलीप उसकी बहन संतोषी व बहनोई कल्लू भी उसी बस में बैठकर आये थे तथा दिलीप का छोटा भाई अर्जुन बस के पीछे-पीछे मोटरसाइकिल से आया था तथा चारों व्यक्तियों को मोटरसाइकिल पर बिठाकर बस स्टैण्ड भिण्ड ले गया था।

15—

अ०सा०-२ अभियोक्त्री ने अपने कथनों में बताया है कि, जब वह लहार चुंगी पर उतरी तो दिलीप, उसकी बहन संतोषी एवं कल्लू उन्हें मिले थे तब संतोषी ने उसे कुछ खिला दिया था तत्पश्चात् उसे बस से ग्वालियर ले गये थे। साक्षी का अनुसंधान के दौरान दिये


 (एम० एम० तोमर)
 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश
 भिण्ड (म.प्र.)

गये कथन प्र०डी०-२ में कहना है कि, उसे लहार चुंगी से ऑटो में बिठाकर बस स्टैण्ड तक ले गये थे इस प्रकार अ०सा०-१,२ व ७ के कथनों में इस संबंध में विरोधाभास है कि, अभियुक्त के द्वारा लहार चुंगी पर अभियोक्त्री को कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर उसे किस प्रकार से बस स्टैण्ड तक ले जाया गया ?

16— अ०सा०-१ राजकिशोर का कहना है कि, जब वह सूरत दिलीप के पास गया तो वहाँ उसकी पुत्री/अभियोक्त्री व दिलीप के साथ दिलीप के बहन-बहनोई भी मिले थे । अ०सा०-२ अभियोक्त्री का कहना है कि, उसके पिता ढूँढते हुये सूरत आये तो वह छिप गई थी व दिलीप को उसके पिता ने पकड़ लिया था जब कि, अ०सा०-१ का मुख्य परीक्षण में कहना है कि, दिलीप को देहात की पुलिस का एकड़कर लाई थी । अ०सा०-५ दर्शनसिंह यादव का कहना है कि, उसने अभियुक्त दिलीप को बस स्टैण्ड भिण्ड से गिरफ्तार किया था इस प्रकार अ०सा०-१ के इन कथनों में अत्याधिक विरोधाभास है कि, अभियुक्त दिलीप को पुलिस के द्वारा किस स्थान से अभिरक्षा में लिया गया ? अ०सा०-१ व २ के इन कथनों में यह विरोधाभास है कि, अभियोक्त्री को अ०सा०-१ के द्वारा सूरत में अभियुक्त दिलीप के साथ उसके घर में देखा गया । यह तथ्य सामान्यतः मानव स्वभाव के अनुकूल नहीं है कि, अवयस्क पुत्री जिसका व्यपहरण/अपहरण किया गया हो, वह अपने पिता को देखकर उससे बचने के आशय से छिप जाये तथा इस संबंध में अ०सा०-१ व २ के कथनों में अत्याधिक विरोधाभास हैं तथा उनके पूर्व कथन से अनु-समर्थित भी नहीं है इस कारण से इस संबंध में अ०सा०-१ के कथनों पर विश्वास किया जाना उचित नहीं है ।

17— अ०सा०-२ अभियोक्त्री का कहना है कि, वह अपने छोटे भाई गजेन्द्र के साथ मोटर से बाजार करने अपनी बुआ भूरी के पास भिण्ड आ रही थी । लहार चुंगी पर उतरी वहीं संतोषी, कल्लू एवं अभियुक्त दिलीप उसे मिले । संतोषी ने उसे कुछ खिला दिया तत्पश्चात् उसे पता नहीं चला । दिलीप, संतोषी व कल्लू उसे बस से गवालियर तक व ट्रैन से सूरत तक ले गये । उसका भाई गजेन्द्र लहार चुंगी पर ही रह गया था तथा सूरत में दिलीप ने उसे अपने पास ५ दिन तक रखा तथा उसके साथ बलात्कार किया तत्पश्चात् अभियुक्त देहात कोतवाली आ गया था और वह सूरत से भिण्ड अकेली आई थी । पुलिस ने उसके मिलने के संबंध में पंचनामा प्र०पी०-४ बनाया था तथा उसके पिता की सुपुर्दगी में देकर पंचनामा प्र०पी०-२ बनाया था व उसका चिकित्सा परीक्षण कराया था ।

(ए० ए० ए० तौमर)
चतुर्थ अधर सर न्यायालय
भिण्ड (म.प.)

प्र०क०:-८२ / १५ सत्रवाद

18— अ०सा०-२ का प्रतिपरीक्षण में कहना है कि, २-३ दिन बाद उसके पिता सूरत प्रथम बार अकेले आये थे तत्पश्चात् पुलिस को लेकर आये थे। जब उसके पिता पुलिस को लेकर आये थे तब वह छिप गई थी पिता को मिली नहीं थी। अ०सा०-१ ने अपने कथनों में यह नहीं बताया है कि, वह दो बार अभियोक्त्री को देखने सूरत में गया था प्रथम बार अकेला व द्वितीय बार पुलिस को लेकर सूरत गया था। इस संबंध में अ०सा०-५ दर्शनसिंह यादव जिसके द्वारा उक्त अपराध का अनुसंधान किया गया है, ने भी कोई अभिकथन नहीं किया है। अ०सा०-२ अभियोक्त्री के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०स० में इस संबंध में कोई अभिकथन नहीं किये हैं कि, उसे अभियुक्त के द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाया गया तथा उसके साथ अयुक्त संभोग कारित किया गया। यह साक्षी अनुसंधान के दौरान न्यायालय के समक्ष दिये गये कथन अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०स० प्र०डी०-१ को कल्लू संतोषी एवं दिलीप के द्वारा बताये जाने पर देने का अभिकथन करती है। साक्षी के इन कथनों पर भी विश्वास किया जाना उचित नहीं है।

19— अ०सा०-२ ने प्रतिपरीक्षण कण्डिका-५ में यह अभिकथन किया है कि, जिस दिन वह अपने गॉव से भिण्ड आ रही थी तब उसकी बुआ के घर कोई कार्यक्रम नहीं था तथा उक्त दिनांक को बुआ के बच्चे का जन्म दिन नहीं था यह बात उसने अपने पुलिस कथन प्र०डी०-२ में नहीं बताई थी जब कि, प्र०डी०-२ में इस तथ्य का उल्लेख है। इस प्रकार साक्षी के यह कथन उसके पूर्व कथनों से विरोधाभासी हैं।

20— अ०सा०-४ प्रदीप त्यागी का कहना है कि वह दिनांक २६-११-१४ को पुलिस थाना देहात में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। फरियादी राजकिशोर के द्वारा अभियुक्त दिलीप के विरुद्ध उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाये जाने के संबंध में रिपोर्ट लिखाई थी जिसके आधार पर उसने अप०क०-४६५ / १४ प्र०पी०-१ पंजीबद्ध किया था व जिसकी काउण्टर प्रतिलिपि संबंधित मजिस्ट्रेट को प्रेषित की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कहना है कि, अभियोक्त्री के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से किये जाने का कोई कारण अभिलिखित नहीं कराया गया था।

(एम० ह८० तोमर)
अतुर्थ अप० सत्र न्यायाधीश
भिण्ड (म.प्र.)

21— अ0सा0-6 डॉ० राधा अग्रवाल जो कि, दिनांक 09-12-14 को जिला चिकित्सालय भिण्ड में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ थी, के द्वारा अभियोक्त्री का चिकित्सा परीक्षण किया गया तथा उसके वैजाइनल स्वाव की स्लाईड तैयार कर कपड़े इत्यादि जप्त कर रिपोर्ट प्र०पी०-३ दी गई है। साक्षी के द्वारा अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किये जाने के संबंध में कोई स्पष्ट अभिमत् नहीं दिया गया है तथा हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट हेतु स्लाईड व कपड़े संबंधित आरक्षक को दिये गये हैं। इस संबंध में क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला ग्वालियर से प्राप्त रिपोर्ट प्र०पी०-१० के अनुसार अभियोक्त्री की चड्डी सी-१, स्लाईड सी-२ पर वीर्य के धब्बे व मानव शुकाणु होना पाये गये हैं।

22— अ0सा0-5 दर्शनसिंह यादव का कहना है कि, वह दिनांक 26-11-14 को थाना देहात में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उसने अप०क०-465/14 की विवेचना के दौरान दिनांक 27-11-14 को राजकिशोर से पूछताछ कर उसका कथन लिया था व दिनांक 08-12-14 को गजेन्द्र, श्रीमती भूरीबाई के कथन लिये थे। दिनांक 09-12-14 को सुबह 09:15 बजे अभियोक्त्री के बस स्टैण्ड भिण्ड पर मिलने पर उसका दस्तयाबी पंचनामा प्र०पी०-४ बनाया था तत्पश्चात् उसे पूछताछ हेतु महिला डैर्स्क की प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक रेणु जादौन के पास भेजा था जिनके द्वारा उसके कथन लिये गये थे तथा अभियोक्त्री का चिकित्सा परीक्षण कराये जाने हेतु भेजा गया था व न्यायालय में धारा 164 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत कथन कराये जाने हेतु भेजा था तत्पश्चात् अभियोक्त्री को उसके पिता की सुपुर्दगी में देकर पंचनामा प्र०पी०-२ बनाया था। दिनांक 09-12-14 को ही अभियुक्त दिलीप वो बस स्टैण्ड भिण्ड से गिरफ्तार कर पंचनामा प्र०पी०-९ बनाया था। इस प्रकार इस साक्षी ने अपने कथनों में अ0सा0-१ के साथ सूरत जाने के संबंध में कोई अभिकथन नहीं किये हैं।

23— अ0सा0-1 व 2 के कथन अन्तर्विरोधी होकर परस्पर विरोधाभासी हैं तथा अ0सा0-2 के कथन उसके द्वारा पूर्व में न्यायालय में दिये गये कथन प्र०डी०-१ तथा अनुसंधान के दौरान अनुसंधान अधिकारी के समक्ष दिये गये कथन प्र०डी०-२ से भी समर्थित नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षीगण के कथनों पर विश्वास किया जाना उचित नहीं है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता है कि, घटना के समय अभियोक्त्री की अवस्था 18 वर्ष से न्यून रही है।

(एम० एस० लोमर)
चतुर्थ अपर संघ न्यायाधीश
भिण्ड (म.प्र.)

(45)

11-

प्र०क०:-82/15 सत्रवाद

24— अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि, अभियुक्त के द्वारा दिनांक 24-11-14 को अभियोक्त्री का व्यपहरण किया गया तथा इस आशय से कि, वह अयुक्त संभोग के लिये विवश व विलुब्ध की जावेगी उसका उपापन किया अथवा उसका व्यपहरण किया। प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता है कि, अभियुक्त के द्वारा अभियोक्त्री के साथ एक अथवा एक से अधिक बार बलात्संग या प्रवेशन लैंगिक हमला किया गया। अतः अभियुक्त दिलीप को भा०द०स० की धारा-363,366—क 366, 376(2)(आई), 376(2)(एन) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(L)/6 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

25— अभियुक्त दिलीप न्यायिक निरोध में है अतः उसका रिहाई आदेश जारी किया जावे।

26— अभियुक्त इस प्रकरण में निम्न अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहा है :—

क्र०	अभियुक्त का नाम	निरोध में जाने का दिनांक	निरोध से छूटने का दिनांक
1—	दिलीप पुत्र बहादुरसिंह जाटव	09-12-2014	नि रं त र

27— अभियोक्त्री की पहिचान सार्वजनिक न किये जाने सम्बन्धी तथ्य को सुनिश्चित किये जाने के आशय से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 23 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेशित किया जाता है कि यह निर्णय इस न्यायालय या वरिष्ठ न्यायालय की अनुमति के बिना पीड़ित की पहिचान के सम्बन्ध में सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किये जाने से प्रवारित रहेगा।

(एम० एस० तोमर)
चतुर्थ अमृत सत्र न्यायाधीश
मिशन (म.प्र.)

28— प्रकरण में जप्तशुदा वैजाईनिल स्लाईड, स्वाव, सील नमूना, प्यूबिक हेयर इत्यादि मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किये जावें।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टक्कित किया।

20/2/1937
(एम०एस० तोमर)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
मिण्ड(म०प्र०)

20/2/1937
(एम०एस० तोमर)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
मिण्ड(म०प्र०)

हस्ताक्षरित

विधायक विधिविभाग
शासकीय विधा एवं शासकीय
विध्य (प० दृष्टि)

०८ नं० 1937/16

12.2.16

20.2.16

20.2.16

12.2.16

15.2.16

20.2.16

20.2.16

निःशुल्क

✓

कामकाला विधिविभाग
शासकीय विधा